

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक - 16/03/2010

क्रमांक एफ-10-20/2010/वा.कर(पं.)/पांच (24) :: रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का संख्यांक 16) की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद् द्वारा धारा 79 के अधीन प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक-818-635-पांच-पृ.आ., दिनांक-24/02/1975 में और संशोधन करती है, अर्थात् :-

// संशोधन //

उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण फीस की सारणी के उपशीर्ष छूट तथा निर्बन्धन के क्रमांक (48) के बाद निम्नानुसार क्रमांक (49) जोड़ा जाता है :-

(49) राज्य सरकार पांच एकड़ की सीमा तक कृषि भूमि धारित करने वाले कृषकों के द्वारा निष्पादित किये जाने वाले विनिमय विलेखों के पंजीयन पर निम्न शर्तों के अध्वधीन रहते हुये, प्रभार्य पंजीयन शुल्क में छूट प्रदान करती है :-

- 1) जिस भूमि का विनिमय किया जा रहा हो, वह कृषि भूमि हो ;
- 2) जिस भूमि का विनिमय किया जा रहा हो, वह भूमि स्वामी की भूमि से लगी हुई हो, अर्थात् चकबन्दी हो ;
- 3) जिस भूमि का विनिमय किया जा रहा हो, वह लगभग समान बाजार मूल्य की हो ;
- 4) जिन भूमियों का विनिमय किया जा रहा हो, वे नजूल अथवा नगर वाह्य नजूल कृषि भूमियां नहीं होना चाहिए ;
- 5) जिस भूमि का विनिमय किया जा रहा हो, वह एक ही राजस्व निरीक्षक वृत्त के भीतर स्थिति हों ;

2/

उक्त अधिसूचना दिनांक 1-अप्रैल, 2010 से प्रभावशील होगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(व्ही.के. राय)
उप सचिव

.....2

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय

दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

// अधिसूचना //

रायपुर, दिनांक 28/10/2010

क्रमांक एफ 10-40/2010/वा.कर(पं.)/पांच (65) :: रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का संख्यांक 16) की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद् द्वारा धारा 79 के अधीन प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक-818-635-पांच-पृ. आ., दिनांक-24/02/1975 में और संशोधन करती है, अर्थात् :-

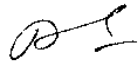
// संशोधन //

उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण फीस की सारणी के उपशीर्ष छूट तथा निर्बन्धन के क्रमांक (49) के बाद निम्नानुसार क्रमांक (50) जोड़ा जाता है :-

(50) राज्य सरकार, श्री ललित तिवारी, सिविल लाईन, रायपुर को सिविल स्टेशन ब्लॉक नम्बर 12, प्लॉट नम्बर 3/1 व 2/3 रकबा 10650 वर्गफुट में से 5000 वर्गफुट आबंटित भूमि रुपये 2061/- वार्षिक भू-भाटक पर निष्पादित किये जाने वाले पट्टा विलेख के पंजीयन पर प्रभार्य पंजीयन शुल्क में छूट प्रदान करती है।

2/ उक्त अधिसूचना इसके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगी।

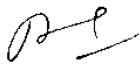
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(व्ही.के.राय)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक - 28/10/2010

क्रमांक एफ 10-40/2010/वा.कर(पं.)/पांच :: भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-40/2010/वा.कर (पं.)/पांच (65), दिनांक-28/10/2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(व्ही.के.राय)
उप सचिव

**GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
COMMERCIAL TAX (REGISTRATION) DEPARTMENT
MANTRALAYA
DAU KALYAN SINGH BHAWAN, RAIPUR**

//NOTIFICATION//

Raipur, Dated: 28 /10 /2010

No.F 10-40/2010/CT/(R)/V/(65) :: In exercise of the powers conferred by section 78 of the Registration Act 1908 (No. XVI of 1908), State Government hereby makes the following further amendment in to the notification no. 818-635-V-S.R., dated 24-02-1975 published under section 79 of the said act, namely:-

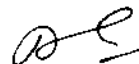
// Amendment //

In the said notification in "The Table of Registration Fees", under the sub-heading "exemption and reduction" an item no. (50) shall be added after item no. (49), namely:-

(50) State Government hereby remits the registration fees chargeable on instruments of lease executed in favour of Shri Lalit Tiwari, Civil Line, Raipur pertaining to allotment of 5000 sqft of land out of 10650 sqft on a yearly rent of Rs 2061 for plot no. 3/1 and 2/3, block no. 12, civil station, Raipur.

2/ This notification shall come into force from the date of its publication in the official gazette.

By order and in the name of Governor
of Chhattisgarh.



(V.K. Rai)
Deputy Secretary